



# ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(Ministry of Education, Government of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110 070

Ph. No.: 011-29581007, 1043 Website: [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)

## PRIME MINISTER'S SPECIAL SCHOLARSHIP SCHEME (PMSSS) FOR THE STUDENTS OF UTs OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKH FOR "DIPLOMA HOLDER UNDER LATERAL ENTRY" IN ENGINEERING STREAM ONLY.

Online Registration for Academic Session 2021-22 is open under lateral entry admission (2nd year). The admission will be based on vacant seats available during Academic Session 2020-21 in Engineering Stream only. The details regarding eligibility criteria, courses, financial help and registration schedule are given below:

Eligibility Criteria	Courses Where Admission To Be Made	Academic Fee payable to the institution (per annum)	Maintenance allowance limits (payable to the students)	Registration Schedule
Passed Diploma in Engineering (not earlier than AY 2020-21) from the polytechnic institution recognized by DTE of J&K and Ladakh	Engineering Stream only	Upto Rs. 1.25 Lakh p.a.	Not exceeding Rs. 1.00 Lakh per annum (in Ten equal instalments to meet hostel, mess, books, stationery & other incidentals) Fresh students admitted in the academic session 2021-22 will be paid maintenance allowance from the date of joining the institute. If the student is studying through online mode from J&K / Ladakh will be paid Rs. 20,000/- per semester. The students who stays actually in the Hostel/PG will be paid on the basis of certification by the Principal of College/ Institute.	01.10.2021 to 11.10.2021

For registration refer link <https://www.aicte-jk-scholarship-gov.in> and for detailed information about the scheme refer <https://www.aicte-india.org/bureaus/jk/2021-2022>

Advt. No.: J&K Cell/09(05)/2021

Member Secretary, AICTE



# अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन नं० 011-29581007, 1043, 1010 वेबसाइट: [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)

जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएसएस): केवल इंजीनियरिंग विधा में पार्ष्विक प्रवेश के अंतर्गत डिप्लोमा धारक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु ऑनलाईन पंजीकरण शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए पार्ष्विक प्रवेश (द्वितीय वर्ष) हेतु ऑनलाईन पंजीकरण आरम्भ हो रहा है। पार्ष्विक प्रवेश केवल इंजीनियरिंग विधा में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा। पात्रता मानदंड, पाठ्यक्रम, वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) और पंजीकरण सारणी के संदर्भ में विवरण नीचे दिया गया है :-

पात्रता मानदण्ड	पाठ्यक्रम जहाँ प्रवेश दिया जाना है	संस्थान को देय शैक्षणिक शुल्क प्रति वर्ष	अनुरक्षण भत्ते की सीमा (विद्यार्थियोंको देय)	पंजीकरण सारणी
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के तकनीकी शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण (जो शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से पूर्व का न हो)	केवल इंजीनियरिंग विधा	रु. 1,25,000 / - तक	शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में भर्ती हुए नए विद्यार्थियों को संस्थान में शामिल होने की तारीख से (छात्रावास, मेस, किताबें, स्टेशनरी एवं अन्य आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए दस समान किशतों में) रूपये 1.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं, के अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी जम्मू-कश्मीर / लद्दाख से ऑनलाइनमोड के माध्यम से अध्ययन कर रहा है तो अनुरक्षण भत्ते का भुगतान रु. 20,000 / - प्रति सेमेस्टर होगा। जो विद्यार्थी वास्तव में छात्रावास / पीजी में रहता है, उसे महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर भुगतान किया जाएगा।	01.10.2021 से 11.10.2021

पंजीकरण के संदर्भ में लिंक <https://www.aicte-jk-scholarship-gov.in> देखें और योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया <https://www.aicte-india.org/bureaus/jk/2021-2022> देखें।

विज्ञापन सं: जम्मू और कश्मीर प्रकोष्ठ / 09 (05) / 2021

सदस्य सचिव, अभातशिप